

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

पंडित दीनदयाल उपाध्याय
अत्यायुध सन्मल पखवाड़ा-2025

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प ~~ख.द.म.त.~~

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी र.स.ल.म.ग.प.
व भू.अ.नि. ख.द.म.त. की रिपोर्ट तथा रूप तहसीलदार/नायब
तहसीलदार गिरुण्ड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम अमरपुरा तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् २०३० में खाता संख्या ७५ में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	अमरपुरा	७५	धुनीया पुत्र गंगाशाम जाति - रेगार	धुनी पुत्र गंगाशाम जाति - रेगार

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
रेलमगरा

क्रमांक:- 340

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11/10/25

1. तहसीलदार रेलमगरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। धुनी पुत्र गंगाशाम रेगार

उपखण्ड अधिकारी

लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,